



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 10, गुरुवार, शाके 1943-जुलाई 1, 2021
Asadha 10, Thursday, Saka 1943- July 1, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 30, 2021

संख्या प.23(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट :-गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2)चिकि.एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “अतिरिक्त मिशन निदेशक (एन.एच.एम.) एवं निदेशक (आई.ई.सी.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” के स्थान पर अभिव्यक्ति “विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” प्रतिस्थापित की जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हरफूल पंकज,

उप शासन सचिव।

8087

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।